न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)राज0
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 55/2021

1– नानी देवी पुत्री मंगलाराम पत्नी आत्माराम जाति माली निवासी भाटी बास, डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–मोहनसिंह पुत्र मंगनाराम जाति माली निवासी प्लोट नम्बर 169 शफी पेट्रोल पम्प के पीछे, चौपासनी रोड़ जोधपुर राज0।

2–गायत्री पुत्री मंगनाराम जाति माली निवासी 657 विद्युत नगर, नाकुल पथ, सरोवर पोटिको होटल के पास, पुरानी चुंगी अजमेर रोड़, जयपुर राज0।

3–तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र खिलेरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

2–श्री विक्रम कुड़ी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

अपील विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 2801 दिनांक 30.06.2005 द्वारा तहसीलदार डीडवाना को अपास्त करने बाबत।

निर्णय

दिनांक:21.02.2022

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार डीडवाना के नामान्तरकरण संख्या 2801 दिनांक 30.6.2005 ग्राम डीडवाना तहसील डीडवाना के विरूद्ध पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2}–अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम डीडवाना की सरहद में खसरा नम्बर 2593 में रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी अपीलार्थी के पिता स्व. मगनाराम की रही है। जिसके उपरान्त उक्त कृषि भूमि का म्यूटेशन उसके एक पुत्र मोहनसिंह व दो पुत्रियॉ स्वंय अपीलार्थी व गायत्री देवी के नाम भरा जाना चाहिए था, परन्तु तहसीलदार डीडवाना ने दोनो पुत्रियों का नाम छोड़कर एक पुत्र के नाम ही म्यूटेशन संख्या 2801 दिनांक 30.06.2005 भरा गया। इस म्यूटेशन के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

{3} अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :–

{3}(1)– यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का पारित नामान्तरण संख्या 2801 दिनांक 30.06.2005 अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{3}(2)– यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण दर्ज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की हैं, योग्य अधीनस्थ न्यायालय का पारित नामान्तरण संख्या 2801 दिनांक 30.06.2005 अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3)– यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरण संख्या 2801 न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4)–यह है कि तहसीलदार डीडवाना व पटवार हल्का डीडवाना द्वारा नामान्तरण भरते समय विधि के सिद्धान्तो की पालना नहीं की एवं कानून के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

विपरीत कार्य करते हुए उत्तराधिकारी अधिनियम का उल्लघंन करते हुए नामान्तरण दर्ज किया है। मंगनाराम का देहान्त हो चुका हैं उनके विधिक वारिसान अपीलांट का नाम छोड़कर केवल प्रत्यर्थी संख्या 01 मोहनसिंह का नामान्तरण में नाम भरा, जो कि विधि विरूद्ध हैं। फौतगी नामान्तरण में सभी वारिसान का नाम नियमानुसार दर्ज होना चाहिए था। परन्तु उक्त अपीलाधीन नामान्तरण में ऐसी विधि की पालना नहीं हुई हैं जिससे उक्त नामान्तरण अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(5)–यह है कि अपीलार्थी मंगनाराम की जाईन्दा पुत्री हैं। उसका नामान्तरण में नाम विधि अनुसार दर्ज होना चाहिए परन्तु पटवार हल्का व तहसीलदार की जांच में केवल प्रत्यर्थी संख्या 01 मोहनसिंह को ही जांच में वारिस पाया जो कि गलत हैं। उक्त जांच सही नहीं की गई हैं ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरण अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

{3}(6)–यह है कि उक्त नामान्तरण में विधि के सिद्धान्तों की अवहेलना हुई एवं उत्तराधिकारी अधिनियम की पालना भी नहीं की गई हैं उक्त नामान्तरण भरते समय अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई उक्त नामान्तरण बाला बाला ही भरा गया हैं। अभी हाल ही में अपीलांट को उक्त प्रकरण की जानकारी तब हुई जब उक्त जमीन प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा बैचाण करने का प्रयास किया गया तब नकल खतौनी लेने से ज्ञात हुआ है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 ने पटवारी व राजस्व अधिकारी व कर्मचारियो से मिलकर अपीलांट को उसके अधिकारो से वंचित कर दिया गया हैं एवं अपीलांट का नाम फौतगी नामान्तरण में नहीं भरा गया हैं। इसकी जानकारी नामान्तरकरण 2801 दिनांक 30.96.21 की नकल लेने पर हुई इससे पूर्व अपीलांट को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। जिससे उक्त अपील अन्दर मयाद है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(7)–यह है कि अपीलांट को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवम उन्हे कभी यह अवगत नहीं कराया गया है कि उक्त खसरा नम्बर में उसका नाम नहीं भरा गया हैं।

अतः अपीलार्थी की ओर से अपील पेश कर न्यायालय हाजा से विन्रमतापूर्वक प्रार्थना की है कि अपीलार्थी की म्यूटेशन संख्या 2801 दिनांक 30.06.2005 को अपास्त फरमावें तथा प्रकरण तहसीलदार, डीडवाना को विधि अनुसार पुनः म्यूटेशन दर्ज किये जाने का वांछित आदेश जारी करावें।

{4}– अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 24.09.2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। न्यायालय हाजा ने इसे दिनांक 27.09.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अधिवक्ता श्री विक्रम कुड़ी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से अपना वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश किये गये । अधीनस्थ न्यायालय के रिकोर्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई जो दिनांक 29.12.2021 को शामिल मिसल की गयी।

{5} –अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे तर्क दिया है कि हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण सं0 2801 जैर अपील भरने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की और पुत्रियो का नाम छोड़ कर बिना जॉच किये नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया। मृतक खातेदार स्व. मगनाराम के विधिक वारिसान अपीलार्थी व गायत्री पुत्री मंगनाराम के नाम नामान्तकरण में अंकित नहीं किया, इसके संबंध में कुछ भी नहीं लिखा कि विधिक वारिसान का नाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

नामान्तकरण में क्यों नहीं इन्द्राज किया गया। जिस कारण से भी नामान्तकरण जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वादग्रस्त नामान्तकरण स्वीकृत करते वक्त मंगनाराम पुत्र गंगा के विधिक वारिसान उनकी पुत्रियों का नाम नामान्तकरण में दर्ज नहीं किया जाकर भारी कानूनी एवम वाक्याती भूल की है जिससे अपीलाधीन नामान्तकरण अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के बिन्दूओ को सही ठहराते हुवे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भरा गया नामान्तरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे।

{6} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन एवं अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की स्वीकृति की जानकारी उसे पूर्व में नहीं थी। इसकी जानकारी उसको नामान्तरकरण की नकल दिनांक 06.09.2021 को लेने से हुई तथा अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील दिनांक 24.09.21 को पेश की गई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार निर्वसीयत मरने वाले पुरूष की सम्पति प्रथमतः उन वारियों को जो अनुसूचित के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है को न्यागत होगी। पुत्रियां मृतक खातेदार की प्रथम श्रेणी की वारिसान है। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट जो अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया है को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है क्योंकि अपीलान्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

प्रथम श्रेणी की वारिस है जिसकी पीठ पीछे बिना सुनवाई के स्वीकृत नामान्तरकरण में मियाद का कोई महत्व नहीं है। ऐसे एक पक्षीय आदेश में मियाद तात्विक नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।

{7}– पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया एवं बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम डीडवाना तहसील डीडवाना के नामान्तरकरण सं0 2801 जो तहसीलदार डीडवाना द्वारा दिनांक 30.6.2005 को स्वीकृत किया गया है, में मृतक खातेदार मंगनाराम की विरासत के रूप में उनके एक मात्र पुत्र के नाम अंकन किया गया है। नामान्तरकरण भरते समय पटवारी हल्का ने दोनों पुत्रियों का नाम छोड़ कर उसके एक पुत्र मोहनसिंह पुत्र मंगनाराम के नाम ही नामान्तकरण भर कर पेश करने पर तहसीलदार डीडवाना ने स्वीकृत किया है जबकि उनकी जायन्दा दो पुत्रियॉ व एक पुत्र होना रेस्पोडेन्ट ने स्वीकार किया है जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सख्या 02 हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अनुसार किसी अभिधारी की निर्वसीयत मृत्यु हो जाये तो उसकी जोत में उसका हित उस स्वीय विधि के अनुसार जिसमें वह अपनी मृत्यु के समय अध्यधीन था, न्यागत होगा । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार निर्वसीयत फौत होने वाले पुरूष की सम्पति प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूचि के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं को न्यागत होगी। वर्ग 1 के वारिस पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, उसकी विधवा तथा अन्य दर्शाये गये हैं। अर्थात पुत्रियां मृतक खातेदार की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है और मनमाने ढंग से उनको उनके पिता की भूमि से वंचित नही किया जा सकता है एवं नामान्तरकरण भरने में उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में खातेदार मगनाराम की मृत्यु उपरान्त जो नामान्तरकरण सं0 2801 दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

30.06.2005 ग्राम डीडवाना तहसील डीडवाना स्वीकृत किया गया है उसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। अतः उक्त नामान्तरकरण सं0 2801 दिनांक 30.06.2005 ग्राम डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है

:::: आदेश ::::

अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम डीडवाना तहसील डीडवाना का नामान्तरकरण सं0 2801 दिनांक 30.06.2005 निरस्त किया जाता है एवम तहसीलदार डीडवाना को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दानों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मृतक खातेदार के वारिसान की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 21.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)